उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5883 / जबलपुर, दिनांक 03/11/2018

श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को कर्तव्य पर बिना सूचना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 तथा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ते (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 भाग–चार के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से उनके विरूद्ध विभागीय जांच पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ते देय होंगे।

02.11.18

(प्रकाश चंद्र गुप्ता)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/5884 / जबलपुर, दिनांक 03/11/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की ओर यह सूचित करते हुए कि श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के विरूद्ध नियमित विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है । अतः विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोपपत्र, अभिकथन का विवरण दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची तैयार कर यथाशीघ्र इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.) उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना/वेतन निर्धारिण, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्था. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर म.प्र.,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)